

क्रमांक प.8 (4) विमा. /2024

जयपुर, दिनांक 29-10-2024

परिपत्र / दिशानिर्देश

विषय : District Mineral Foundation Trust (DMFT) फण्ड के स्वीकृत कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में।

राज्य के प्रत्येक District Mineral Foundation Trust (DMFT) द्वारा कोषालय में पी.डी. खाता संधारित किया जाता है। कार्यकारी परिषद द्वारा DMFT फण्ड के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु विभिन्न विभाग / संस्थाएँ कार्यकारी एजेंसी निर्धारित की जाती हैं। स्वीकृत कार्यों हेतु DMFT के पी.डी. खाते से राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी के पी.डी. खातों / बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है। कई कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पी.डी. खाता संधारित नहीं किये जाने के कारण उनको निष्पादित कार्य के विरुद्ध संबंधित प्रदायक / संवेदक को भुगतान करने में कठिनाई आती है।

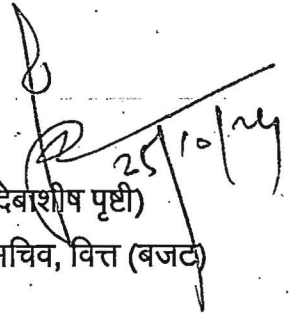
उक्त परिस्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा "just-in-time release" सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिया गया है कि DMFT के पी.डी. खातों को सामान्य से एकीकृत निजी निक्षेप खातों (unified personal deposit accounts) में परिवर्तित किया जाए। जिला एवं कार्यकारी एजेंसियों के स्तर पर यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता पद्धति से संबंधित प्रदायक / संवेदक को भुगतान करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. समस्त District Mineral Foundation Trusts (DMFT) द्वारा सम्बद्ध कोषालय में यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता खुलवाने हेतु वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.04.2022 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाये जावें।
2. DMFT विधान अनुसार उक्त खाते के संचालन / आहरण के लिए नोडल अधिकारी तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले अधीनस्थ कार्यालयों / कार्यकारी संस्थाओं / एजेंसी (IA) का स्पष्ट अंकन प्रस्ताव में किया जावे। भविष्य में नवीन कार्यकारी एजेंसी (IA) कोषालय स्तर से DMFT की कार्यकारी परिषद के आग्रह पर जोड़ी जा सकेंगी।
3. DMFT फण्ड से स्वीकृत कार्य हेतु जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसी / संस्था को एकीकृत निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध शेष से ऑनलाइन आहरण सीमा (Drawing Limit) आवंटित की जावेगी तथा कार्यकारी एजेंसी / संस्था द्वारा तद्सीमा तक व्यय किया जा सकेगा।
4. DMFT के वर्तमान पी.डी. खाते के अवशेष को वित्त विभाग की अनुमति पश्चात् खोले गए यूनिफाईड निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा पूर्व में खोले गए खातों को दिनांक 31.12.2024 तक बंद कराया जाए।
5. नोडल अधिकारी द्वारा DMFT के एकीकृत निजी निक्षेप खाते का दैनिक आधार पर कोषालय रिकॉर्ड (IFMS) से अंकमिलान किया जाएगा, जो कोषालय द्वारा भी प्रतिदिन महालेखाकार कार्यालय से साझा किया जाता है। राजस्थान कोषागार नियम 2012 के प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष

1/2

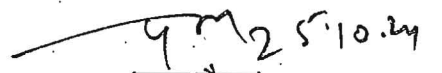
- अप्रैल माह में यूनिफाईड निजी निक्षेप खाते की पासबुक के शेष का कोषागार से मिलान एवं भुगतानों की शुद्धता की जाँच की जावेगी।
- राशि जमा एवं आहरण के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया DMFT विधानानुसार यथावत रहें।
 - भविष्य में District Mineral Foundation Trusts (DMFT) का गठन होने पर एतदर्थ खोले जाने वाले पी.डी. खातों पर भी उक्त प्रावधान लागू होंगे।
 - DMFT की कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकृत अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थियों / सेवाप्रदाताओं / प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के प्रकरणों में जारी / स्वीकृत राशि सीधे संबंधितों के बैंक खातों में जारी की जाएगी।

यूनिफाईड निजी निक्षेप खाते के संचालन के संबंध में वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 06.04.2022 में उल्लेखित प्रावधान एवं प्रक्रिया लागू रहेंगे।


(देबाशीष पृष्ठी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर।
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी कोषाधिकारियों एवं खनिज अभियन्ताओं को इस संबंध में V.C. से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करें।
- समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
- तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।


(पवन जैन)
संयुक्त शासन सचिव

2/2